

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122022-241210
CG-DL-E-19122022-241210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5679]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/ अग्रहायण 25, 1944

No. 5679]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

का.आ 5915(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 472 (अ) तारीख 03.02.2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 04.02.2022, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य में मुंबई – नागपूर – झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के खंड नागपूर – झारसुगुडा पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मुम्बई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन						
अनुभाग - नागपुर - झारसुगुडा						
अनुसूची						
राज्य : महाराष्ट्र						
जिला	तालुका	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
नागपूर	कामटी	आवंदी	165	00	00	70
			162	00	08	77
			161	00	08	13
			159	00	07	48
			158	00	09	95
			157	00	18	27
			156	00	13	68
			155	00	06	35
			202	00	60	21
			205	00	32	19
			206	00	19	88
			207	00	17	79
			243	00	40	65
			242	00	13	58
			241	00	00	30
			240	00	19	77
			239	00	12	09
			238	00	10	66
			237	00	21	41
			236	00	08	97
			235	00	09	21
			234	00	08	08
			233	00	09	71
			232	00	13	19
			231	00	11	60
			230	00	11	91
			229	00	14	90
			228	00	17	86
			227	00	08	92
			220	00	03	80
			225	00	03	28
			223	00	27	34
नागपूर	कामटी	भोवरी	204/B	00	31	63
			203	00	67	48
			207	00	01	14
			211	00	23	03
			212	00	00	01
			210	00	03	74
			213	00	27	22
			216	00	16	84
			217	00	27	70

जिला	तालुका	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
नागपूर	कामटी	गुमथला	71	00	62	24
			72	00	23	33
नागपूर	कामटी	उन्नगांव	98	00	00	01
			99	00	00	73
			105	00	00	01
			110	00	00	01
			106	00	27	96
			107	00	28	19
नागपूर	कामटी	सोनेगाव (राजा)	52	00	30	53
			54	00	19	54
			51	00	29	23
			47	00	25	68
			46	00	14	58
			45	00	20	13
			96	00	07	28
			98	00	42	42
			95	00	00	46
			97	00	11	79
			99	00	23	36
			101	00	12	22
			114	00	25	87
			113	00	03	70
			162	00	02	64
			164	00	13	78
			163	00	36	67
			180	00	30	35
			181	00	37	36
			277	00	28	76
			287	00	17	54
			286	00	04	89
			288	00	23	74
			284	00	16	50
			283	00	30	68
			315	00	22	72
			316	00	02	31
			320	00	57	39
			341	00	32	43

[फा. सं. एल-14014/1/ 2022-जीपी-II (ई-41343)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

S.O. 5915(E).—Whereas by Notification of Government of India, in Ministry of Petroleum & Natural Gas vide S.O.No 472 (E) dated 03.02.2022, issued under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of users in land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 04.02.2022, the Government of India declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Pipeline for transportation of natural gas through Mumbai – Nagpur – Jharsuguda (Section:- Nagpur - Jharsuguda) pipeline in the State of Maharashtra by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section (6) of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section (6) of the said Act, the Government of India hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of powers conferred by sub section (4) of the Section (6) of the said Act, Government of India hereby directs the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE						
Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline						
Section- Nagpur-Jharsuguda						
SCHEDULE						
State : Maharashtra						
District	Taluka	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5		
Nagpur	Kamptee	Avandhi	165	00	00	70
			162	00	08	77
			161	00	08	13
			159	00	07	48
			158	00	09	95
			157	00	18	27
			156	00	13	68
			155	00	06	35
			202	00	60	21
			205	00	32	19
			206	00	19	88
			207	00	17	79
			243	00	40	65

District	Taluka	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5		
			242	00	13	58
			241	00	00	30
			240	00	19	77
			239	00	12	09
			238	00	10	66
			237	00	21	41
			236	00	08	97
			235	00	09	21
			234	00	08	08
			233	00	09	71
			232	00	13	19
			231	00	11	60
			230	00	11	91
			229	00	14	90
			228	00	17	86
			227	00	08	92
			220	00	03	80
			225	00	03	28
			223	00	27	34
Nagpur	Kamptee	Bhowari	204/B	00	31	63
			203	00	67	48
			207	00	01	14
			211	00	23	03
			212	00	00	01
			210	00	03	74
			213	00	27	22
			216	00	16	84
			217	00	27	70
Nagpur	Kamptee	Gumthala	71	00	62	24
			72	00	23	33
Nagpur	Kamptee	Ungaon	98	00	00	01
			99	00	00	73
			105	00	00	01
			110	00	00	01
			106	00	27	96
			107	00	28	19
Nagpur	Kamptee	Sonegaon (Raja)	52	00	30	53

District	Taluka	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5		
			54	00	19	54
			51	00	29	23
			47	00	25	68
			46	00	14	58
			45	00	20	13
			96	00	07	28
			98	00	42	42
			95	00	00	46
			97	00	11	79
			99	00	23	36
			101	00	12	22
			114	00	25	87
			113	00	03	70
			162	00	02	64
			164	00	13	78
			163	00	36	67
			180	00	30	35
			181	00	37	36
			277	00	28	76
			287	00	17	54
			286	00	04	89
			288	00	23	74
			284	00	16	50
			283	00	30	68
			315	00	22	72
			316	00	02	31
			320	00	57	39
			341	00	32	43

[F. No. L-14014/1/2022-GP – II (E-41343)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.